रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन)-22 REGISTERED No. D. (D N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 607] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 1985/पौष 6, 1907
No. 607] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 1985/PAUSA 6, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1985

आदेश

का. आ. 918(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मन्त्रालय (खाद्य विभाग) द्वारा चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किए गए अपने आदेश सं. का. आ. 726(अ) तारीख 26 दिसम्बर, 1978 द्वारा घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले के बैतालपुर स्थित श्री सीताराम शुगर कम्पनी का प्रबन्ध 27 दिसम्बर, 1978 से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगा, और उक्त निहित होने की अवधि चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों अर्थात् भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. का. आ. 897(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1981, सं. का. आ. 911(अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1984 और सं. का. आ. 210(अ) तारीख 21 मार्च, 1985 के द्वारा 26 दिसम्बर, 1985 तक बढ़ा दी गई थी ।

और, केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबंध, उसके स्वामी को, जिससे उक्त चीनी उपक्रम का प्रबंध ले लिया गया था, प्रत्यावर्तित कर देना समीचीन है,

अतः केन्द्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 27-12-85 से आदेश सं. का. आ. 210(अ) तारीख 21 मार्च, 1985 के साथ पठित आदेश सं. का. आ. 726(अ) तारीख 26 दिसम्बर, 1978 को विखंडित करती है ।

[फा. सं. 4-6/85-एन. एम. य.]

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

New Delhi, the 27th December, 1985

ORDERS

S.O. 918(E).—Whereas by its order No. S.O. 726(E), dated the 26th December, 1978, issued under clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978),

the Central Government in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), declared that the management of the Shree Sitaram Sugar Company, Baitalpur, District Deoria in the State of Uttar Pradesh, shall vest in the Central Government for a period of 3 years with effect from the 27th December, 1978, and the period of the said vestment was extended from time to time upto the 26th December, 1985 vide orders of the Government of India in the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) No. S.O. 897(E), dated the 11th December, 1981, No. S.O. 911(E), dated the 7th December, 1984, and No. S.O. 210(E), dated the 21st March, 1985 issued under section 3 of the Sugar Undertakings (Taking over of Management) Act, 1978 (49 of 1978);

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient that the management of the said sugar undertaking should be restored to the owners from whom the management of the said sugar undertaking was taken over;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescind the order No. S.O. 726 (E), dated the 26th December, 1978 read with order No. S.O. 210 (E), dated the 21st March, 1985, with effect from the 27th December, 1985.

[No. 4-6/85-NSU]

का. आ. 919 (अ) :—केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) द्वारा चीनी उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1978 (1978 का 5) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जारी किए गए अपने आदेश सं. का. आ. 727(अ) तारीख 26 दिसम्बर, 1978 द्वारा घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में स्थित देवरिया शुगर मिल्स लिमिटेड का प्रबन्ध 27 दिसम्बर, 1978 से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगा, और उक्त निहित होने की अवधि चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 3 के अधीन समय-समय पर जारी किए गए आदेशों अर्थात् भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. का आ. 896(अ) तारीख 11 दिसम्बर, 1981, सं. का. आ. 910 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 1984 और सं. का. आ. 209(अ) तारीख 21 मार्च, 1985 के द्वारा 26 दिसम्बर, 1985 तक बढ़ा दी गई थी ।

और, केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबंध, उसके स्वामी को, जिससे उक्त चीनी उपक्रम का प्रबंध ले लिया गया था, प्रत्यावर्तित कर देना समीचीन है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 27-12-85 से आदेश सं. का. आ. 209(अ) तारीख 21 मार्च, 1985 के साथ पठित आदेश सं. का. आ. 727(अ) तारीख 26 दिसम्बर, 1978 को विखंडित करती है ।

[फा. सं. 4-6/85-एन. एस. यू.]
वी. लक्ष्मीरतन, संयुक्त सचिव (चीनी)

S.O. 919(E).—Whereas by its order No. S.O. 727(E), dated the 26th December, 1978, issued under clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Sugar undertakings (Taking over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978), the Central Government in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), declared that the Management of the Deoria Sugar Mills Limited, District Deoria in the State of Uttar Pradesh, shall vest in the Central Government for a period of 3 years with effect from the 27th December, 1978 and the period of the said vestment was extended from time to time upto the 26th December, 1985, vide orders of the Government of India in the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) No. S.O. 896 (E), dated the 11th December, 1981, No. S.O. 910(E), dated the 7th December, 1984 and No. S.O. 209(E), dated the 21st March, 1985 issued under section 3 of the Sugar Undertakings (Taking over of Management) Act, 1978 (49 of 1978);

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient that the management of the said sugar undertaking should be resorted to the owners from whom the management of the said sugar undertaking was taken over;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 3 of the said Act read with section 21 of the General Clause Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescind the order No. S.O. 727 (E), dated the 26th December, 1978 read with order No. S.O. 209(E), dated the 21st March, 1985, with effect from the 27th December, 1985.

[No. 4-6/85-NSU]
V. LAKSHMI RATAN, Jt. Secy. (Sugar)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986